UPSH010026992026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–981/2026</u>

कुलदीप, उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री रामपाल, निवासी ग्राम बवौरी जलालाबाद, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मुकदमा अपराध संख्या–268/2025,
धारा–64(1), 115(2), 351(3) बी0 एन 0 एस 0,
थाना–सेहरामऊ दक्षिणी, जिला–शाहजहाँपुर।

<u>03–06–2026</u>

अभियुक्त/आवेदक कुलदीप द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त/आवेदक का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री गया सिंह द्वारा दिनांक: 14–09–2025 को थाना सेहरामऊ दक्षिणी, शाहजहाँपुर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि उसकी पत्नी दिनांक: 09–09–2025 को समय करीब 04:00 बजे दिन के बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी रास्ते में कुलदीप पुत्र रामपाल ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ व बतदमीजी करने लगा, जब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट भी की तथा उसकी पत्नी के शोर मचाने पर कुलदीप जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से भाग गया। वह अपनी पत्नी को लेकर थाने गया तथा उसका मेडिकल पूर्व में ही करा लिया है। अत: कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह पूर्णत: निर्दोष है तथा उसे रंजिशन झूँठा फँसाया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेडिकल के समय पीड़िता ने कथन किया है कि उसके साथ कोई गलत नहीं हुआ है। धारा 180 व 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयानों में गम्भीर विरोधाभास विद्यमान है।

अत: दौरान मुकदमा उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता ने आवेदक/अभियुक्त द्वारा जिस तरह की मारपीट किये जाने सम्बन्धी कथन किये हैं, उसी तरह की चोट मेडिकल रिपोर्ट में पायी गयी है। पीड़िता ने धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयान में स्पष्ट रूप से आवेदक/अभियुक्त द्वारा मारपीट व जबरदस्ती बलात्संग किये जाने सम्बन्धी कथन किये हैं। अत: उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट करने व जबरदस्ती बलात्संग किये जाने का गम्भीर आरोप है। पीड़िता द्वारा धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयान में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि कुलदीप ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा तथा कहा कि साथ चलो। उसने चिल्लाना चाहा तो उसने उसकी कनपटी पर तमंचा लगा दिया और तमन्चे की बटों से उसके साथ मारपीट की तथा उसे गन्ने के खेत ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया। पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर 07 चोटें पाया जाना दर्शाया गया है। प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। इस प्रकार अभियुक्त/आवेदक की गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है और न ही इस बाबत कोई तथ्य उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में अग्रिम जमानत का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक **कुलदीप** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–981/2026, अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–268/2025, धारा–64(1), 115(2), 351(3) बी0 एन 0 एस 0, थाना–सेहरामऊ दक्षिणी, जिला–शाहजहाँपुर, निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 03–06–2026

(प्रेम शंकर)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।